बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

आदेश

संचिका संख्या : 11/नि 01–04/2017 .... पटना, दिनांक ....

यह आदेश राजकीयकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय, प्रोजेक्ट बालिका माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने से संबंधित है।

2. वैसे राजकीयकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय, जहाँ प्रमण्डलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक कार्यरत है, वहाँ प्रमण्डलीय वरीयता सूची के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने संबंधित निदेश पूर्व से निर्गत है। इसे यथावत रखा जाता है।

3. प्रमण्डलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक यदि विद्यालय में कार्यरत नहीं हो और जिला परिषद्/नगर निकाय नियोजन ईकाई अन्तर्गत नियोजित शिक्षक ही विद्यालय में पदस्थापित हो तो प्रभारी प्रधानाध्यापक निम्न मापदण्ड के अनुरूप संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा घोषित किये जायेगें:–

(i) प्रशिक्षित स्नातकोत्तर (+2) शिक्षक, के वर्तमान नियोजन ईकाई अन्तर्गत प्रथम विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर वरीयतम शिक्षक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक होगें।

(ii) यदि कंडिका (i) में उद्धृत श्रेणी के शिक्षक नहीं होगें तो अप्रशिक्षित स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक (+2) के बी0एड0 उत्तीर्णता की तिथि के आधार पर वरीयतम शिक्षक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक होगें।

(iii) यदि कंडिका (i) एवं (ii) में उद्धृत श्रेणी के शिक्षक नहीं होगें तो प्रशिक्षित स्नातक (माध्यमिक) शिक्षक जो स्नातकोत्तर योग्यताधारी हों, के वर्तमान नियोजन ईकाई अन्तर्गत प्रथम विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर वरीयतम शिक्षक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक होगें।

(iv) यदि कंडिका (i), (ii) एवं (iii) में उद्धृत श्रेणी के शिक्षक नहीं होगें तो प्रशिक्षित स्नातक (माध्यमिक) शिक्षक के वर्तमान नियोजन ईकाई अन्तर्गत प्रथम विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर वरीयतम शिक्षक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक होगें।

(v) यदि कंडिका (i), (ii), (iii) एवं (iv) में उद्धृत श्रेणी के शिक्षक नहीं होगें तो वर्तमान नियोजन ईकाई अन्तर्गत अप्रशिक्षित स्नातक (माध्यमिक) शिक्षक के बी0एड0 उत्तीर्णता की तिथि के आधार पर वरीयतम शिक्षक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक होगें।

4. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय विहिन पंचायत अंतर्गत स्थापित नवउत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक निम्न मापदण्ड के अनुरुप घोषित किये जायेगें:–

(i) संबंधित मध्य विद्यालय में यदि जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक पदस्थापित है, तो वे नवउत्क्रमित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के दायित्व का भी निर्वहन करेंगे।

(ii) संबंधित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक पदस्थापित नहीं रहने की स्थिति में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान मे कार्यरत स्नातक शिक्षक, जो स्नातकोत्तर योग्यताधारी होगें, वे विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किये जा सकेगें। एक से अधिक इस प्रकार के शिक्षक होने पर वरीय स्नातक शिक्षक को विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकेगा।

(iii) यदि कंडिका (ii) में उद्धृत श्रेणी के शिक्षक विद्यालय में पदस्थापित नहीं होगें तो जिला संवर्ग के प्रशिक्षित स्नातक वेतनमान में कार्यरत शिक्षक के प्रथम विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर वरीयतम शिक्षक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किये जायेंगे।

(iv) यदि कंडिका (ii) एवं (iii) में उद्धृत श्रेणी के शिक्षक नहीं होगें तो जिला संवर्ग के मैट्रिक/इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान में कार्यरत शिक्षक, जो स्नातकोत्तर की योग्यता रखते हो और यदि स्नातकोत्तर योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो, स्नातक योग्यताधारी शिक्षक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किये जायेंगे।

(v) यदि कंडिका (ii), (iii) एवं (iv) में उद्धृत श्रेणी के शिक्षक नहीं होगें और जिला परिषद् अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षक का नियोजन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में हुआ हो तो कंडिका–3 (iii) से 3 (v) में निर्धारित मापदंड के अनुरुप प्रभारी प्रधानाध्यापक को घोषित किया जा सकेगा।

5. प्रमण्डलीय संवर्ग अन्तर्गत कार्यरत शारीरिक शिक्षक एवं जिला परिषद्/नगर निकाय अन्तर्गत नियोजित शारीरिक शिक्षक को माध्यमिक विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जायेगा।

6. साथ ही, प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के क्रम में योगदान की तिथि एक होने पर उनकी वरीयता जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जायेगी, अर्थात जिनका जन्म तिथि पहले होगी वरीयता में उनका स्थान ऊपर होगा। जन्म तिथि समान होने पर वरीयता उनके नाम के अंग्रेजी शब्दकोष के अनुसार बढ़ते क्रम में निर्धारित की जायेगी।

7. इस संबंध में पूर्व में निर्गत पत्र/परिपत्र/निदेश/आदेश को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।

8. संबंधित विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पदस्थापन के साथ ही उक्त वैकल्पिक व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

ह०/–
(विनोद कुमार सिंह)
विशेष सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/नि 01–04/2017 2178 पटना, दिनांक 08/9/ 2017

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/9/17

विशेष सचिव, शिक्षा विभाग।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अधिसूचना

संचिका संख्या : 11 / मु 9–99 / 2019 1560 पटना, दिनांक 22.07.2019

बिहार जिला परिषद् माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 8(viii)(क) के तहत शिक्षकों के वरीयता के संबंध में सरकार द्वारा अलग से अधिसूचना निर्गत करने का प्रावधान है।

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक–2178 दिनांक–08.09.2017 के द्वारा राजकीयकृत उच्च माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालय, प्रोजेक्ट बालिका माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने से संबंधित दिशा निदेश निर्गत किया गया था। उक्त आदेश को एक अन्य विभागीय आदेश ज्ञापांक–2253 दिनांक–26.09.2017 के द्वारा स्थगित कर दिया गया।

3. माध्यमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु सभी माध्यमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमण राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। एतदर्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक अथवा माध्यमिक शिक्षक दोनों कोटियों के शिक्षकों के द्वारा विद्यालय तालिका में निर्धारित विषयों का शिक्षण अनिवार्य रूप से किया जाना है अर्थात उच्च माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा माध्यमिक कक्षा एवं माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर के कक्षाओं में शिक्षण का कार्य किया जायेगा।

4. उक्त विभागीय आदेश ज्ञापांक–2253 दिनांक–26.09.2017 को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–10446 / 2019 (डॉ० कृत्युंजय चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) दायर किया गया।

5. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा उक्त वाद में दिनांक–10.05.2019 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"…….Having considered the facts and circumstances of the case, this Court is of the opinion that the order dated 26.09.2017 passed by the Special Secretary, Education Department, Govt. of Bihar is unsustainable, since the same has been passed contrary to the prevailing law, hence, the same is quashed…." न्यायादेश में इंगित विशेष सचिव के दिनांक–26.09.2017 का आदेश वस्तुतः उक्त ज्ञापांक–2253 है।

6. उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक–2178 दिनांक–08.09.2017 के द्वारा उक्त नियमावली के अधीन नियोजित शिक्षकों की आपसी वरीयता को भी निर्धारित किया गया था।

7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–2253 दिनांक–26.09.2017 को निरस्त करते हुए उक्त नियमावली के नियम 8(viii)(क) के तहत नियोजित शिक्षकों के वरीयता का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:–

(i) प्रशिक्षित शिक्षक एवं अप्रशिक्षित शिक्षक में प्रशिक्षित शिक्षक वरीय होंगे।

(ii) वरीयता का निर्धारण संबंधित नियोजन इकाई अन्तर्गत नियोजन की तिथि एवं प्रशिक्षण योग्यता प्राप्ति की तिथि, जो बाद में हो, के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(iii) कंडिका–(ii) में वर्णित स्थिति यदि किन्हीं दो शिक्षकों के बीच समान होती हो, तो समान विषय के शिक्षक की स्थिति में मेधा सूची में जो शिक्षक उपर होंगे, वे वरीय होंगे। यदि दो शिक्षक अलग–अलग विषय के होंगे तो जन्म तिथि जिनकी पहले होगी, वे वरीय होंगे। जन्म तिथि के समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आएगा वह वरीय होंगे।

(iv) प्रशिक्षित स्नातकोत्तर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक में प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक वरीय होंगे। परन्तु प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की तिथि को यदि प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक, जिनकी स्नातकोत्तर की योग्यता तथा कार्यकाल की अवधि दोनों चार (04) वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, की वरीयता समान होगी। ऐसे दो शिक्षकों के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण ऊपर की उप कंडिकाओं में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप किया जायेगा। यह मात्र वरीयता के निर्धारण के लिए प्रभावी होगा, इसके आधार पर उच्च स्तर का वेतनादि अथवा भत्ता देय नहीं होगा।

(v) उपर्युक्त परिस्थिति के इतर यदि कोई आपसी वरीयता का मामला उत्पन्न होता हो तो निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा उसका निराकरण किया जायेगा।

8. माध्यमिक शिक्षक एवं स्नातकोत्तर (+2) शिक्षक के प्रथम दो वर्ष की अवधि को परीक्ष्यमान अवधि मानते हुए उक्त वरीयता का लाभ प्रथम दो वर्षों के लिए देय नहीं होगा।

9. उक्त नियमावली के अधीन नियोजित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के वरीयता के संदर्भित पूर्व के निर्गत पत्र/परिपत्र/आदेश को उक्त हद तक संशोधित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(अरशद फिरोज)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/मु 9–99/2019 .... पटना, दिनांक ...., 2019

प्रतिलिपि: (1) सभी नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
(2) सभी जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/मु 9–99/2019 1508 पटना, दिनांक 22.07., 2019

प्रतिलिपि: (1) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/संबंधित उप सचिव, शिक्षा विभाग/प्रशाखा–18 को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड कर दिया जाय।

उप सचिव, शिक्षा विभ

uKr

D/backup file desktop 2019/Officeorder.doc

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अधिसूचना

संचिका संख्या : 11/मु 9–99/2019 –884/ पटना, दिनांक 10.5.2023

बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशाससनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा की पृष्ठभूमि में कुल 369 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति उत्क्रमित उच्च माध्यमिक/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2022–23 में की गई है।

2. उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ समन्वय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के कर्तव्य एवं दायित्वों के साथ–साथ वेतनादि के निर्धारण आदि पर विभाग के स्तर से अपेक्षित दिशा–निर्देश निर्गत किया जाना है। इस हेतु उक्त नियमावली 2021, बिहार राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबंध समिति के गठन एवं संचालन नियमावली 2022 तथा बिहार बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली (संशोधन) 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं:–

(i) उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग I से VIII तक एवं वर्ग IX से XII तक दो अलग–अलग शैक्षणिक एवं प्रशासनिक इकाई माना जाएगा।

(ii) वर्ग I से VIII तक के विद्यालय का प्रबंधन एवं संचालन बिहार बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली (संशोधन) 2013 के अनुरूप गठित विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक इस समिति के पदेन सदस्य के रूप में कार्य का निष्पादन करेंगे।

(iii) वर्ग IX से XII तक का संघालन एवं प्रबंधन बिहार राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रबन्ध समिति के गठन एवं संचालन नियमावली 2022 के अनुरूप गठित विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के द्वारा इस समिति के पदेन सदस्य सचिव के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।

(iv) वर्ग I से VIII तक के विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव के द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति से संबंधित बैंक खाता/SNA खाता (समग्र शिक्षा एवं पी0एम0 पोषण योजना) आदि का संचालन संयुक्त रूप से किया जाएगा।

(v) वर्ग IX से XII तक के लिए विद्यालय के विकास कोष, छात्र कोष, समग्र शिक्षा अन्तर्गत बैंक खाता/SNA खाता एवं अन्य राशि के व्यय हेतु बैंक खाता का

संचालन नवनियुक्त प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से विद्यालय के अन्य शिक्षक (यथा निदेशित) के साथ करेंगे। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग IX से X तथा वर्ग XI से XII तक के लिए शिक्षक पदस्थापित/नियुक्त नहीं रहने की स्थिति में मध्य विद्यालय के शिक्षक जो वर्ग IX से X तथा वर्ग XI से XII तक के संचालन हेतु प्रतिनियुक्ति/प्राधिकृत है, के साथ संयुक्त रूप से बैंक खाता का संचालन किया जाएगा।

(vi) वर्ग IX से X तथा वर्ग XI से XII तक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अलग-अलग कोड (Code) उक्त कोटि के विद्यालय के लिए आवंटित है। इसी प्रकार वर्ग I से VIII तक के साथ-साथ वर्ग IX से XII तक के लिए UDISE कोड एवं तदनुरूप समग्र शिक्षा अन्तर्गत SNA खाता अलग-अलग होगा। इस हेतु बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना के द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

(vii) बिहार राज्य सरकार के कर्मियों के लिए 01 सितम्बर 2005 से प्रभावी नई पेंशन योजना से उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय/नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के नवनियुक्त प्रधानाध्यापक आच्छादित होंगे। इनका मूल वेतन 35000/- रूपये प्रति माह होगा और राज्य कर्मियों को देय अन्य भत्ते भी अनुमान्य होंगे। इनके वेतनादि के निकासी की व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अन्य शिक्षकों/प्रधानाध्यापक की भाँति संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के नामित पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यकतानुसार अनुवर्ती निदेश वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की सहमति से अलग से निर्गत किया जा सकेगा।

(viii) वेतन भुगतान के पूर्व नवनियुक्त प्रधानाध्यापक के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच नियुक्ति प्राधिकार के स्तर से कराया जाना है। इस क्रम में प्रधानाध्यापक जो पूर्व से पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत थे और सक्षम स्तर से उनके शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जाँच करा ली गई हो तो उसको आधार मानकर पुनः जाँच कराने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु अनुभव प्रमाण पत्र आदि की जांच/सत्यापन करानी आवश्यक होगा।

उक्त निदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

10.5.23

(संजय कुमार)
संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/मु 9-99/2019-884 पटना, दिनांक 10.5.2023

प्रतिलिपि: (1) संबंधित नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबंधित जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ प्रेषित।

10.5.23

संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग।

D/backup file desktop 2019/Officeorder.doc

ज्ञापांक : 11/मु 9–99/2019 –884 पटना, दिनांक 10.05.2023

प्रतिलिपि: (1) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/संबंधित उप सचिव, शिक्षा विभाग/प्रशाखा–18 को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड कर दिया जाय।

10.5.23

संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग।

D/backup file desktop 2019/Officeorder.doc

कार्यालयः जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ।

शिवनाथ रजक,(बि०शि०से०)
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

E-mail:
deopurnia.edn@gmail.com
Mob. - 8544411773

कार्यालय–आदेश

निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना के ज्ञापांक–1598 दिनांक–20.07.2023 के आलोक में विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2178 दिनांक–08.09.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में जिलान्तर्गत वैसे उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जहाँ जिला संवर्ग के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/शिक्षक पदस्थापित नहीं हैं, वैसे विद्यालय मे जिला परिषद्/नगर परिषद्/नगर पंचायत/नगर निगम नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थापित हैं, उनमें पदस्थापन विवरणी के आधार पर जो शिक्षक वरीय हैं, उन्हें विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि वे 06 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिनांक–24.07.2023 से 29.07.2023 तक बिपार्ड, गया एवं गया स्थित चिन्हित प्रशिक्षण स्थलों पर प्रशिक्षण में भाग लेते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक–TE/1395 दिनांक–20.07.2023 में दिये गये दिशा–निर्देश के आलोक में प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक :.......1689.............पूर्णियाँ, दिनांक 21/07/ 2023

प्रतिलिपिः– **जिले के सभी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय के अधिकृत प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।**

प्रतिलपिः– **जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।**

प्रतिलपिः– **जिले के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।**

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि– अपर महानिदेशक/वरीय सहायक निदेशक–सह–सत्र समन्वकय, बिपार्ड, गया की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः– राज्य परियोजना निदेशक, बिहार राज्य परियोजना परिषद, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।